कार्यालय प्रबंध संचालक
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम) निष्ठा परिसर, गोविंदपुरा, भोपाल– 462023
फोन आफिस 0755–2602033.34, 2678325:383:325–फैक्स–2589821
ई–मेल commercialczc1@gmail.com
बैवसाइट portal.mpcz.in CIN Number:U40109MP2002SGC015119

क्रमांक/प्रसं/म.क्षे./वाणि.-एक/45/F-20/ 1037 भोपाल/दिनांक 16/12/24

परिपत्र

विषय:- कृषि पंप उपभोक्ता को नवीन विद्‌युत कनेक्शन प्रदान करने के संवंध में।

संचालक मंडल की 93 बोर्ड मीटिंग दिनांक 27/09/18 में दिए गए निर्णयानुसार इस कार्यालय द्वारा परिपत्र क्र. 1481 दिनांक 29/09/2018 के माध्यम से ऑनलाईन कनेक्शन दिए जाने हेतु वितरण केंद्र प्रभारी को कृषक को चिन्हित कर उनसे आवेदन लेकर, आवेदन शुल्क 5/- रूपये मात्र प्राप्त कर कृषि संयोजन प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया था। संयोजन की शेष राशि में रजिस्ट्रेशन शुल्क वापिस योग्य राशि है जिसे उपभोक्ता के प्रथम बिल में समायोजित किया जाता है, अत: यह नहीं लेने तथा सर्विस कनेक्शन शुल्क (सुरक्षा निधि + अनुबंध राशि) उपभोक्ता के प्रथम बिल में जोड़ने के निर्देश प्रसारित किए गए थे।

वर्तमान में प्रचलित प्रक्रियानुसार ग्रामीण क्षेत्र में 3 फेज़ स्थाई कृषि पंप कनेक्शन प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता को सरल संयोजन पोर्टल (SSP) में आवेदन के साथ नियमानुसार पंजीयन शुल्क 2500/- रूपये एवं सुरक्षा निधि 1200/- रूपये प्रति हास पॉवर का भुगतान किया जाता है। पंजीयन शुल्क 2500/- उपभोक्ता के प्रथम बिल में समायोजित कर दिया जाता है।

कंपनी क्षेत्रांर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत 27 लाख किसान लाभांवित हो रहे है जबकि मात्र 9 लाख किसानों द्वारा वैध विद्‌युत कनेक्शन लिया गया है। क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि वर्तमान में कई कृषक मात्र अधिक कनेक्शन चार्जेस के कारण कनेक्शन हेतु आवेदन नहीं कर रहे है। कृषि पम्पों के संयोजनों की संख्या बढ़ाए जाने हेतु ऐसे कृषक जो विद्‌युत की उपलब्ध लाईन के समीप स्थित है एवं ऑनलाईन आवेदन करने में भी असमर्थ हैं, को कृषक की सुविधानुसार आसानी से स्थाई कृषि पंप संयोजन दिया जाना है।

म.प्र.विद्‌युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम RG-31 2022 में दिए गए नियम अनुसार LT Pole से उपभोक्ताओं द्वारा स्थापित होने वाली सर्विस लाईन में सुरक्षा नियमों की जॉच कर, मात्र रूपए 5 में ग्रामीण क्षेत्र में नवीन स्थाई कृषि कनेक्शन प्रदाय किया जाना है। सरल संयोजन पोर्टल में उपभोक्ता का नवीन संयोजन का फार्म भरने की कार्यवाही कंपनी के मैदानी अधिकारी द्वारा प्रचलित नियमानुसार कार्यवाही की जानी है तथा कनेक्शन की सुरक्षा निधि की राशि उपभोक्ता के प्रथम बिल में जोड़ी जानी है।

यह परिपत्र जारी होने के पश्चात् पूर्व में जारी परिपत्र 1481 दिनांक 29/09/2018 अधिक्रमित किया जाता है।

मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य)

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्या. प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल।
2. मुख्य महाप्रबंधक (भो.क्षे./ग्वा.क्षे.), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल/ग्वालियर।
3. महाप्रबंधक (सू.प्रौ.) कार्या. प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., भोपाल।
4. महाप्रबंधक (संचा./संधा.-शहर), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि..............................।
5. उप महाप्रबंधक (संचा./संधा.-शहर), संभाग.......................म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं. लिमि.............।

6. प्रबंधक/सहायक प्रबंधक (संचा./संधा.-शहर),उपसंभाग/वितरण केंद्र.............म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं. लिमि ....

7. निज सचिव, प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल।

नोट क्रमांक 04 के लियेः-यद्यपि उक्त परिपत्र की प्रतिलिपि संभाग प्रभारी, जोन/वितरण केंद्र प्रभारी एवं लेखा कार्यालय को पृष्ठांकित है, तथापि इसकी प्रति सीधे तौर पर उनको प्रेषित नहीं की जा रही है। प्रत्येक वृत्त कार्यालय अपने अधीनस्थ समस्त संभाग, वितरण केंद्र/जोन कार्यालयों एवं लेखा कार्यालयों तक उक्त परिपत्र की प्रतिलिपियां प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य)